

बैंक ऑफ़ इंडिया

वाहनों के संबंध में उपभोक्ता उधार के लिए दृष्टिबंधक करार

यह करार एक पक्षकार के स्थ में _____
(जिसे इसमें आगे “उधार लेने वाला” कहा गया है और जिसके अंतर्गत उसके वारिस, निष्पादक और प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि, संपदा और चलसंपत्ति हैं) और दूसरे पक्षकार के स्थ में बैंक ऑफ़ इंडिया, जौ बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन गठित एक निगम निकाय है और जिसका प्रधान कार्यालय स्टार हाऊस, C-5, ‘जी’ ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051, में और शाखा कार्यालय, अन्य स्थानों के अतिरिक्त, _____ में हैं (जिसे इसमें इसके आगे बैंक कहा गया है तथा जिस पद के अंतर्गत उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) के बीच आज तारीख _____ को किया गया.

उधार लेनेवाले ने अनुसूची “क” में नीचे वर्णित नई/पुरानी मोटर कार/चार पहियों वाला वाहन/स्कूटर/मोटर साइकिल/ऑटोसाइकिल क्रय करने के लिए स्वयं को समर्थ बनाने हेतु _____ रूपये उधार दिए जाने के लिए बैंक से आवेदन किया है, जिसके लिए बैंक उधार लेनेवाले को, आगे उल्लिखित शर्तों और निबंधनों पर तथा उधार का प्रतिदाय प्रतिभूत कर दिए जाने पर, सहमत हो गया है और बैंक में इस विलेख के निष्पादन के पूर्व उक्त _____ रूपये का उधार अनुदत्त कर दिया है तथा उधार लेनेवाले के उक्त मोटर कार/चार पहियों वाला वाहन/स्कूटर/मोटर साइकिल/ऑटोसाइकिल का क्रय कर लिया है/क्रय करना स्वीकार कर लिया है.

अतः पक्षकारों के बीच निम्नलिखित करार हुआ है. (क) उधार लेनेवाला उक्त उधार की _____ रूपये की रकम का बैंक को _____ में प्रतिसंदाय अनुसूचि “ख” में उल्लिखित रीति से और दिनों में _____ रूपये की _____ समान मासिक किस्तों में करेगा. पहली किस्त तारीख _____ 20 _____ को संदेय होगी और प्रत्येक उत्तरवर्ती किस्त प्रत्येक उत्तरवर्ती मास के _____ दिन को तब तक संदेय रहेगी जब तक कि उधार की संपूर्ण रकम चुकता नहीं हो जाती, और

(ख) (i) जब तक कि उक्त उधार या उसका कोई भाग असंदत्त रहता है तब तक उधार लेनेवाला बैंक को उस पर या समय-समय पर शोध्य उसके अतिशेष पर बैंक ऑफ़ इंडिया की मूल उधार दर (बीओआई पीएलआर)/मूल सांवाधि दर (बीओआई पीटीएलआर) से _____ % अधिक दर पर किंतु न्यूनतम _____ प्रतिवर्ष की दर पर अथवा ऐसी अन्य दर पर, जो समय-समय पर बैंक उधार लेनेवाले को अधिसूचित करे, प्रत्येक वर्ष मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर की 30 तारीख को तिमाही रूप में ब्याज का संदाय इस प्रकार करेगा कि उसकी गणना और प्रभारण बैंक की प्रायिक पद्धति के अनुसार हो जाए.

(ii) इस करार के चालू रहने के दौरान उधार पर बकाया उपचित सभी ब्याज या फिलहाल के लिए ब्याज का कोई अंश अदत्त रहता है और इस करार के अंतर्गत बकाया सभी प्रकार की रकम, यदि यह अदा नहीं की गई है तो इस प्रकार बकाया तारीख से उपर्युक्त उल्लिखित एक ही दर से अतिरिक्त ब्याज लगेगा और यह चक्रवृद्धि ब्याज के आधार स्थल से उपर्युक्तानुसार अंतरालों या तिमाही क्रम पर देय होगा.

(iii) इस करार के अंतर्गत यदि मूलधन, ब्याज और अदा की जाने वाली सभी रकम की किस्त के उनकी निर्धारित तारीखों पर जमा करने में कोई व्यतिक्रम होता है तो उधार लेनेवाले को व्यतिक्रम रकम पर _____ प्रतिशत वार्षिक दर से व्यतिक्रम अवधि के लिए और व्यतिक्रम राशि के ऊपर अतिरिक्त ब्याज का निर्णीत हर्जाना देना पड़ेगा. निर्णीत हर्जाना, जो देय हो गया है परंतु अदा नहीं किया गया है, इस करार की शर्तों के अधीन सृजित प्रतिभूति के अंतर्गत सुरक्षित रहेगा.

(iv) एतद्वारा आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त / अगले ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, निर्णीत हर्जाने पर प्रभार लेना उधार लेनेवाले को यह अधिकार नहीं देगा कि वह नियत तारीखों को किस्तें और/या ब्याज की अदायगी में चूक करें तथापि ऐसे ब्याज निर्णीत हर्जाने का प्रभार बैंक को सुरक्षा लागू करने और करार की शर्तों के अधीन कार्रवाई करने का अधिकार देगा.

2. उधार लेनेवाला _____ रूपये के उक्त उधार की रकम और उस पर ब्याज का बैंक को _____ में पूर्वोक्त दिनों को तथा रीति में किस्तों में सम्यकतः प्रतिसंदाय किए जाने के लिए और उन खर्चों, प्रभारों तथा व्ययों (अटर्नी और मुक्किल के बीच होने वाला

BANK OF INDIA

AGREEMENT OF HYPOTHECATION FOR CONSUMER LOAN IN RESPECT OF VEHICLES

THIS AGREEMENT made at the
..... day of Two thousand and
..... Between (hereinafter referred to as
"the Borrower" which expression shall include his/her heirs, executors and administrators, legal
representatives, estate and effects) of the One Part and BANK OF INDIA a body corporate established under
Section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and having its Head
Office at Star House, C-5, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051, and a Branch Office
amongst other places at..... (hereinafter referred to as "the
Bank" which expression shall include its successors and assigns of the Other Part-:

WHEREAS the Borrower applied to the Bank for a loan of Rs.
for the express purpose of enabling the Borrower to purchase the new / second hand motor car/four wheeler
vehicle/ scooter/motorcycle/ autocyple described in Schedule "A" hereunder written which the bank agreed to
do upon having repayment thereof secured on the terms and condition hereinafter mentioned. AND
WHEREAS the Bank has before execution of these presents granted/agreed to grant to Borrower the said
loan of Rs.and the Borrower has purchased/agreed to purchase the said motor car/
four wheeler vehicle/scooter/motorcycle/autocyple.

NOW IT IS HEREBY AGREED between the parties as follows :

1) (a) The Borrower shall repay to the Bank at the said
loan of Rs. byequal monthly installments of
Rs. each in the manner and on the days mentioned in Schedule "B"
hereunder written, the first of such installments being payable on the day of 20
and the subsequent installments being payable on the day of each succeeding
month until the entire loan is repaid, and

(b) (i) The Borrower shall so long as the said loan or any part thereof remains unpaid, pay to the Bank interest
thereon or on the balance thereof due from time to time at the rate of percent above the Prime Lending
Rate of the Bank (BOI PLR) / Prime Term Lending Rate (BOI PTLR) with a minimum ofpercent per
annum or at such other rates as may be notified by the Bank to the Borrower from time to time with quarterly rests on
the 30th day of March, June, September and December in each year and so that such interest shall be calculated,
and charged in accordance with the usual practice of the Bank.

(ii) All interest which shall during the continuance of this Agreement accrue due on loan or any part
thereof for the time being remain unpaid and all other moneys which have become payable under this
Agreement shall, in case the same is not paid on the dates on which they accrue due carry further interest on
the same rates aforesaid computed from their respective due dates and shall become payable on the footing
of compound interest with rests taken or made quarterly as hereinabove provided.

(iii) In case of default in payment of instalment of principal, interest and all moneys payable under this

विधिक खर्च) के लिए जो बैंक को उस प्रतिभूति के संरक्षण, अनुरक्षण, प्रतिरक्षा और पूर्णता के लिए तथा उसके प्रयासित या वास्तविक उगाही के लिए प्रतिभूति के रूप में उपगत करने पड़े इसमें नीचे उल्लिखित अनुसूचि “क” में वर्णित उक्त मोटर कार/चार पहियों वाली गाडीयां/स्कूटर/मोटर साइकिल/ऑटोसाइकिल बैंक के पक्ष में प्रथम प्रभार के रूप में आडमान रखता है (जिसे इसमें आगे “आडमानित माल” कहा गया है और जिस पद के अंतर्गत उक्त मोटर कार/चार पहियों वाली गाडीयां/स्कूटर/मोटर साइकिल/ऑटोसाइकिल से संबंधित सभी प्रकार की फिटिंग, उपकरण और पूर्जे तथा समय-समय पर उसमें किए गए सभी प्रतिस्थापन और परिवर्धन भी हैं).

3. उधार लेनेवाला इस करार के चालू रहने के दौरान आडमानित सामान का विक्रय नहीं करेगा, व्ययन नहीं करेगा, गिरवी नहीं रखेगा, आडमानित नहीं करेगा या अन्यथा उसे प्रभारित विल्लंगमित नहीं करेगा तथा अपने कब्जे से विलग नहीं होगा. उधार लेनेवाला न तो ऐसा कोई कार्य करेगा, और न किए जाने की अनुज्ञा देगा जिसका बैंक के उपर अभिव्यक्ततः दी गई प्रतिभूति पर किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव पड़े अथवा जिसके परिणामस्वरूप किसी लेनदार या अन्य व्यक्ति या किसी सरकार या सड़क परिवहन या नगरपालिका प्राधिकारी या किसी निकाय या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उसकी बाबत कोई दुर्गति या कुर्की या निष्पादन उद्ग्रहित किया जा सके.

4. जब तक उक्त उधार के संबंध में कोई धन बकाया रहता है, तब तक उधार लेनेवाला आडमानित सामग्रियों को बैंक की लिखित पूर्व सहमति बिना _____ राज्य से बाहर न तो ले जाएगा, न ले जाने का कारण बनेगा, न अनुमति देगा और न ही कानून के विरूद्ध इसके प्रयोग करने की अनुमति देगा और बैंक की अनुमति के बिना उक्त मोटर कार/स्कूटर/ मोटर साइकिल/ऑटोसाइकिल की विश्वसनिय परीक्षा या दौड़ प्रतियोगिता के लिए उसका प्रयोग करेगा या प्रयोग करने की अनुमति देगा.

4. (क) बैंक यदि आवश्यक समझे या चूक होने की स्थिति में बैंक स्वयं निर्णय ले, तो उधार लेनेवाला बैंक के नाम का एक बोर्ड जो सुस्पष्ट और स्पष्टतया मुद्रित हो, या लिखा हुआ या मुद्रित हो आडमानित वस्तु के स्पष्ट स्थान पर हर समय प्रदर्शित करेगा.

5. उधार लेनेवाला वचन देता है कि वह आडमानित वस्तु को और इसमें के सभी पुर्जों को और इसके सभी उपकरणों को सदैव क्रियाशील स्थिति में और अच्छी मरम्मत और दशा में रखेगा और बैंक की पूर्व सहमति के बिना इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करेगा और आडमानित वस्तु को विधिवत और नियमित रूप से साफ और सुथरी रखेगा. परंतु मरम्मत के ऐसे कार्यों के संबंध में उधार लेनेवाले को इनपर ग्रहणाधिकार सृजित करने का कोई प्राधिकार नहीं करेगा.

6. उधार लेनेवाला किसी भी कारणवश या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए किसी दावे के परिणामस्वरूप आडमानित उपस्कर को होने वाले नुकसान या विनाश या हानि के कारण होने वाली सभी प्रकार की हानि या नुकसान के विरूद्ध बैंक को क्षतिपूर्ति रखने का वचन देता है.

7. उधार लेनेवाला अपने वर्तमान पते में होने वाले किसी परिवर्तन की और उस स्थान के, जिस पर भविष्य में आडमानित माल ले जाया जाए, पते की, उपर्युक्त खण्ड 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सूचना बैंक को तुरंत देगा.

8. उधार लेनेवाला बैंक को और इस निमित्त बैंक द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को यह अपरिवर्तनीय शक्ति प्रदान करता है कि वह ऐसे उधार लेने वाले को कोई पूर्व सूचना दिए बिना इस करार के खण्ड 14 के अनुसरण में आडमानित वस्तुओं के निरीक्षण या मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए कब्जा कर सकता है और इन्हें किसी भी समय रखे गए स्थान से हटा सकता है और किसी गैरेज में प्रवेश कर सकता है. जहां ये आडमानित वस्तुएं रखी हों और इन वस्तुओं को ऐसे गैरेज या अन्य परिसर में तब तक रख सकता है जब तक कि बैंक या इसका प्राधिकृत प्रतिनिधि आवश्यक समझे और उक्त उद्देश्यों के लिए ऐसी सभी कार्रवाइयां, कार्य और विषय करने या करवाने के लिए बैंक या इसका प्राधिकृत प्रतिनिधि अपनी समझ से आवश्यक या उचित या वांछनीय समझे.

9. जब भी बैंक को आवश्यकता होगी उधारकर्ता प्राधिकृत एजेंट को आडमानित वस्तु का निरीक्षण और/या मूल्यांकन करने की अनुमति देगा. ऐसे निरीक्षण और मूल्यांकन में बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों को बैंक द्वारा मांगे जाने पर (बैंक का विवरण निश्चायक होगा) उधारकर्ता तत्काल बैंक को अदा करेगा और जब तक उक्त का भुगतान नहीं हो जाता तब तक उस पर

Agreement on their respective due dates the borrower shall pay on defaulted amount liquidated damage @..... percent per annum for the period of default and also defaulted amounts interest, further interest, liquidated damages which have become payable, but not paid shall stand secured under the security created in terms of these presents.

(iv) It is hereby further clarified that the charging of additional/further interest, compound interest, liquidated damage shall not entitle the borrower to commit default in payment of installments and/or interest on due dates notwithstanding charging of such interest, liquidated damages the Bank shall be entitled to enforce security and take action as per the terms of this Agreement.

2) The Borrower doth hereby hypothecate by way of first charge in favour of the Bank the said motor car/four wheeler vehicles/scooter/motorcycle/autocycle described in the Schedule "A" hereunder written (hereinafter called "the hypothecated article" which expression shall include all fittings, tools, spares, accessories and parts whatsoever pertaining to the said motor car/four wheeler vehicles/scooter/motorcycle/autocycle and all replacements or additions made therein or there to from time to time) as security for due repayment to the Bank at.....of the said loan of Rs.....and interest thereon by the installments, on the days in the manner aforesaid and for costs, charges and expenses (the legal costs being between attorney and client) incurred by the Bank for the protection, preservation, defence and perfection of this security and for attempted or actual realisation thereof and recovery of its dues hereunder.

3) The Borrower shall not during the continuance of this agreement sell, transfer, dispose of or pledge, hypothecated or otherwise charge, encumber, or in any manner part with the possession of the hypothecated article nor shall the Borrower do or permit to be done any act whereby the security hereinabove expressly given to the Bank shall in any way be prejudicially affected or whereby any distress or attachment or execution may be levied thereon by any creditor or other person or any Government or road transport or Municipal Authority or Body or any local authority or Body whatsoever.

4) So long as any money remains due in respect of the said loan, the Borrower shall not take, or cause or permit to take the hypothecated article out of the state of without the previous consent in writing of the Bank and shall not use or permit or allow the same to be used contrary to law and shall not use or allow to be used the said motor car/scooter/motorcycle for any reliability trial or racing competition, without the permission of the Bank.

4) (A) The Borrower shall if so required by the Bank or in default the Bank may itself cause a board with the name of the Bank legibly and distinctly printed, or written or painted thereon to be placed and at all times maintained in a conspicuous position upon the hypothecated article.

5) The Borrower undertakes at all times to keep the hypothecated article and all parts thereof and all equipment therein thorough working order and in good repair and condition and to make no major alterations therein without the previous consent of the Bank and to keep the hypothecated article duly and regularly serviced and repaired. Provided always that the Borrower shall not have or be deemed to have any authority to create a lien upon the same in respect of such repairs.

6) The Borrower undertakes to indemnify the Bank against every and any kind of loss or damage by reason of damage to or destruction of loss of the hypothecated equipment from any cause whatsoever or by reason of any claim by third person.

7) The Borrower shall notify the Bank at once of any change in his present address and the address to which the hypothecated article may be moved subject nevertheless to the provisions of clause 4 above.

प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रभारित किया जायेगा और इसे आडमानित वस्तु पर एक प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया जायेगा. ऐसा किसी प्रकार का मूल्यांकन निश्चायक एवं उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा.

10. जिस परिसर में आडमानित वस्तु रखी है या रखी जायेगी उसके संपूर्ण किराये, कर, तथा निर्गामी दरों का भुगतान उधारकर्ता द्वारा किया जायेगा. सरकार, नगरपालिका या किसी स्थानिय या सार्वजनिक निकाय या प्राधिकरण को आडमानित वस्तु पर दिये जाने वाले सभी प्रकार के करों, लाईसेंस शुल्कों, पंजीकरण या अन्य प्रभारों का भुगतान भी उधारकर्ता द्वारा किया जायेगा. व्यतिक्रम होने पर बैंक उक्त का भुगतान कर सकता है (किंतु इसके लिए वह बाध्य नहीं होगा) तथा इसके बैंक को इसके अधीन प्राप्त अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

11. उधारकर्ता विधि यथापेक्षित सभी जोखिमों के विरुद्ध आडमानित वस्तु का अपने खर्चों पर बीमा करायेगा तथा बैंक द्वारा समय-समय पर यथापेक्षित अन्य सभी जोखिमों के विरुद्ध भी बैंक द्वारा अनुमोदित एक अथवा एकाधिक बीमा कार्यालयों में बैंक और उधारकर्ता के संयुक्त नामों पर उधारकर्ता अपने खर्चों पर बीमा करायेगा तथा इस संबंध में देय प्रीमियम को उसके देय होने के एक सप्ताह पूर्व ही अदा कर देगा तथा बीमा पालिसियाँ (यदि बैंक द्वारा अपेक्षित हो तो इसे विधिवत समनुदेशित) बैंक को देगा तथा प्रतिभूति के बने रहने तक ऐसे बीमों को चालू रखेगा एवं बनाये रखेगा तथा नवीकरण रसीदें बैंक को देगा. चोरी, आगजनी, भिड़त, दुर्घटना या अन्य किसी कारण से आडमानित वस्तु अथवा उसके किसी भाग अथवा उपसाधनों को कोई नुकसान या क्षति होती है तो उधारकर्ता तत्काल इसकी सूचना बैंक को देगा तथा ऐसा होने पर निर्धारित समयावधि के भीतर बीमा कंपनी में आवश्यक दावा प्रस्तुत करेगा तथा वह आडमानित वस्तु को मरम्मत करके चालू हालत में लाने के लिए भी यथासंभव शीघ्र कदम उठायेगा. बीमा पालिसी के अंतर्गत उधारकर्ता द्वारा प्राप्य सभी धनराशियों का उपयोग इसके अधीन बैंक को तात्कालिक रूप से देय धनराशि की चुकौती में किया जायेगा.

12. आडमानित वस्तु, इसके किसी भाग या उपसाधनों की मरम्मत एवं चालू हालत में लाने अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए होने वाले खर्चों, लागतों प्रभारों तथा किसी प्रकार के किराये, दरों, करों, शुल्कों, प्रभारों तथा खर्चों या किसी प्रकार के प्रीमियम या इसके अधीन उधारकर्ता द्वारा देय किसी प्रकार की धनराशियों के उधारकर्ता द्वारा भुगतान न किये जाने की स्थिति में बैंक उसका भुगतान कर सकता है (किंतु इसके लिए बाध्य नहीं होगा) तथा इससे बैंक को इसके अधीन प्राप्त अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा. बैंक द्वारा इस प्रकार अदा की गई धनराशि की बैंक द्वारा मांग किये जाने पर उधारकर्ता उसका तत्काल भुगतान करेगा तथा जब तक इसका भुगतान नहीं हो जाता तब तक यह उपर बताई गई दर पर ब्याज सहित आडमानित वस्तु एक प्रभार रहेगा.

13. इसमें किसी बात के होते हुए भी उक्त संपूर्ण उधार या उसका तत्समय शोध्य कुल अतिशेष उधारकर्ता द्वारा बैंक को तुरंत शोध्य और देय हो जाएगा और बैंक इसके अधीन प्रवृत्त कराने का हकदार होगा यदि -

(क) उक्त मूल रकम की कोई किस्त या उस पर ब्याज उसके संदाय के लिए नियत तारीख के पश्चात 15 दिन तक असंदत्त रहता है.

(ख) उधारकर्ता के ऋण आवेदन पत्र में कोई अभ्यावेदन या विवरण भौतिक रूप से गलत पाया जाता है.

(ग) उधारकर्ता इस विलेख में उल्लिखित किसी निबंधन या शर्त के पालन या निष्पादन में कोई भंग या व्यतिक्रम करता है.

(घ) उधारकर्ता की सम्पत्ति या उसके किसी भाग के, चाहे वह बैंक की प्रतिभूति में हो या नहीं, विरुद्ध या उस पर कोई निष्पादन या करस्थम या अन्य आदेशिका प्रवृत्त या उद्गृहीत की जा सकती है.

(ङ) उधारकर्ता दिवालिया ऋणी की राहत के लिए विधि का लाभ उठाकर दिवालिया न्याय निर्णीत कर दिया जाता है अथवा अपने ऋणदाताओं से कोई समझौता या ठहराव कर लेता है अथवा दिवालिया का कोई कार्य करता है.

8) The Borrower hereby irrevocably empowers the Bank and any person or persons from time to time authorised by the Bank in that behalf and without previous notice to the Borrower to take possession of and remove the hypothecated articles from any place where it may be lying at any time and enter into any garage or other premises whatsoever and wheresoever in which the hypothecated articles may be lying, either for the purpose of inspection or valuation thereof or for taking possession and removal thereof pursuant to the powers herein contained or for any other purpose mentioned in clause 14 herein and to remain in such garage or other premises so long as the Bank or its authorised representative may think necessary and for the said purposes to do or cause to be done all such acts, deeds and things as the Bank or its authorised representative may in its or his discretion consider necessary or proper or desirable.

9) The Borrower shall whenever required by the Bank allow the Bank or its authorised agent to inspect and or value the hypothecated article. All costs, charges and expenses incurred by the Bank or/and incident to such inspection and valuation shall be paid to the Bank forthwith on demand (the Bank's statement being conclusive) and until payment the same shall with interest at the rate of percent per annum and shall be secured by a charge upon the hypothecated article. Any such valuation shall be conclusive and binding on the Borrower.

10) The Borrower shall pay all rents, taxes, and rates outgoings in respect of the premises in which the hypothecated article is or may be garaged and also all taxes, licence duties, fees, registration and other charges payable in respect of the hypothecated article either to the Government or to the Municipality or to any local or public body or authority. In default, the Bank may (but shall not be bound to) pay the same without prejudice to any of its rights hereunder.

11) The Borrower shall at his own expenses keep the hypothecated article insured against all such risks as may be required by law and also against all such further and other risks as the Bank shall from time to time required by the Bank in one or more insurance offices approved by the Bank in the joint names of the Borrower and the Bank and shall pay the premiums payable in respect thereof at least one week before the same shall have become due or payable and shall deliver to the Bank the policies of insurance (duly assigned to the Bank if so required by it) and shall keep on foot and maintain such insurances throughout the continuance of the security and deliver to the Bank the renewal receipts. The Borrower shall forthwith notify the Bank of any loss of or damage to the hypothecated article or any parts or accessories by theft, fire, collision, accident or any other cause and shall on the happening of any such event lodge the necessary claim with the Insurance Company within the prescribed time and shall also take steps to have the hypothecated article put in thorough working order and in good repair and condition as soon as possible. All moneys receivable by Borrower under the Insurance Policy shall be applied by him in or towards repayment of the amount for the time being due hereunder to the Bank.

12) If default is made by the Borrower in payment of any rents, rates, taxes, duties, fees, charges and outgoings or any premium or any costs, charges and expenses of keeping the hypothecated article, its parts and accessories in good repair and condition in and thorough working order or for any other purpose or of any other sum of money payable by the Borrower hereunder the Bank may (but shall not be bound to) pay the same without prejudice to its rights hereunder and all such sums of money shall be repaid by the Borrower forthwith on demand by the Bank. And shall until repayment with interest at the rate aforesaid be a charge on the hypothecated article.

13) Notwithstanding anything herein contained, the whole of the said loan or the entire balance thereof outstanding at the time shall become forthwith due and payable by the Borrower to the Bank and the Bank will be entitled to enforce its security hereunder upon the happening of any of the following events, namely--

(च) यदि उधारकर्ता बैंक की लिखित सहमति के बिना उस माल पर, जो इस करार के अधीन बैंक की प्रतिभूति है, कोई बंधक भार, गिरवी, आडमान या धारणाधिकार या विल्लंगम सृजित करता है या उसके लिए प्रयत्न करता है या सृजित करने का आशय रखता है.

(छ) यदि कोई ऐसी घटना घटित होती है या परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो बैंक की राय में इस करार के अधीन बैंक की प्रतिभूति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं या खतरा उत्पन्न करती हैं अथवा जिससे ऐसे प्रभाव पड़ने या खतरा उत्पन्न होने की संभावना है.

14. ऊपर खण्ड 13 में उल्लिखित किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम, कार्य, घटना या परिस्थितियां उत्पन्न होने पर यदि बैंक उचित समझता है तो उधारकर्ता के जोखिम या खर्चों पर ऐसे व्यक्तिगत कार्यक्रम, कार्य, घटना या परिस्थितियां उत्पन्न होने के पश्चात उधारकर्ता को किसी प्रकार की सूचना दिए बिना आडमानित वस्तु को उसके स्थान से हटाने अथवा उसे अपने कब्जे में लेने तथा जिसे गैर्रेज या स्थान पर आडमानित वस्तु हैं वहाँ पर रहने देने का (और उसे प्रयोजन हेतु कोई आवश्यक कार्य या बात करने का) हकदार होगा. आडमानित वस्तु का निरीक्षण, मूल्यांकन, बीमा करने तथा उसे अपने कब्जे में करने तथा उसे उसके गैर्रेज या परिसर से हटाने तथा उक्त प्रयोजन हेतु कोई भी कार्य करने, जो बैंक उचित समझे, तथा उसे अपने कब्जे में लेने, वसूल करने, प्राप्त करने रिसीवर नियुक्त करने अथवा उसे तात्काल हटाने का हकदार होगा अथवा कम से कम 15 दिनों की नोटिस देने के पश्चात सार्वजनिक निलामी या निजी संविदा या निविदा द्वारा आडमानित वस्तु को बेचने या इसी कीमत पर उसे निपटारा करने का अधिकार होगा तथा इस प्रकार बिक्री से प्राप्त आगम को बैंक अपनी इच्छानुसार शर्तों एवं निबंधनों पर उक्त ऋण खाते में बकाया राशि तथा उस पर उस तारीख तक देय ब्याज तथा लागतों, प्रभारों, खर्चों एवं उसकी शर्तों के अंतर्गत उधारकर्ता द्वारा देय सभी रकमों से समायोजित करने का अधिकार होगा.

पूर्वोक्त अधिकारों को इन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बाध्य हुए बिना अथवा इनके प्रयोग से हुई हानियों के लिए दायी हुए बिना तथा वाद या अन्यथा बैंक के अधिकारों तथा उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन अधिकारों को प्रवृत्त करने, समाधान करने, समझौता करने तथा प्रयोग करने का इस बात के होते हुए भी अधिकार होगा कि कोई वाद या कार्रवाई लम्बित है. उधारकर्ता एतद्वारा यह भी करार करता है कि वह बिक्री और वसूली संबंधी बैंक लेखाओं को (न्यायालय के भीतर और बाहर) अंतिम और निर्णायक मानेगा तथा यदि उसमें कोई कमी पड़ेगी तो वह उसे पूरा करेगा तथा यदि ऐसी बिक्री से प्राप्त शुद्ध धनराशि बैंक द्वारा प्रतिभूत रकम संदाय करने के लिए अपर्याप्त होती है तो बैंक को, उधार लेने के खाते जमा या उधार लेने के किसा ऐसे धन को जो बैंक के हाथ में हो, ऐसे अतिशेष का संदाय करने के लिये उपयोग करने की स्वतंत्रता होगी और फिर भी यदि कोई कमी रह जाती है तो उधारकर्ता ऐसी कमी का तुरंत संदाय करेगा. परंतु इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात का उधारकर्ता के व्यक्तिगत स्म से विरुद्ध बैंक के किसी उपचार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

15. उधारकर्ता यह घोषणा करता है और प्रत्याभूति देता है कि आडमानित वस्तु उधारकर्ता की आत्यन्तिक एवं विल्लंगम मुक्त संपत्ति है और बनी रहेगी तथा उसके व्ययन की उसे पूर्ण शक्ति है.

16. उधारकर्ता समय-समय पर तथा बैंक द्वारा मांगे जाने पर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करेगा (और सभी कथनों को सत्यापित करेगा) तथा इस प्रतिभूति को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज देगा और निष्पादित करेगा.

17. उधारकर्ता यह करार करता है कि वह इस करार के अधीन बैंक को उसके द्वारा देय किसी रकम के दावे की शुद्धता के बारे में तैयार किए गए ऐसे किसी लेखा विवरण को निश्चायक सबूत मानेगा जो बैंक की बहियों से तैयार किया गया है और जिस पर बैंक के प्रबंधक/अधिकर्ता/लेखाकार और/ या सम्यक्तः प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर हैं और उधारकर्ता इसके लिए किसी वाउचर, दस्तावेज या कागजपत्र के प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा नहीं करेगा.

18. यह की जब आडमान की गई वस्तु किसी समय बैंक के कब्जे में आयेगी उस वस्तु अथवा उसके किसी भाग को हुई किसी भी प्रकार की क्षति अथवा मूल्याहास के लिये बैंक किसी भी तरह से दायी अथवा जिम्मेदार नहीं होगा.

a) any instalment of principal or interest on the said loan being unpaid for a period of 15 days after the respective due dates of payment thereof;

b) any representation or statement in the Borrower's Loan Application being found to be materially incorrect;

c) the Borrower committing any breach or default in the performance or observance of any term or condition contained in these presents;

d) execution or distress or other process being enforced or levied upon or against the whole or any part of the Borrower's property whether secured to the Bank or not;

e) the Borrower being adjudicated insolvent or taking advantage of any law for the relief of insolvent debtors on entering into any arrangement or composition with his creditors or committing any act of insolvency;

f) if the Borrower shall without the consent in writing of the Bank create or attempt or purport to create any mortgage, charge, pledge, hypothecation or lien or encumbrance on the motor car/scooter/motorcycle/autocycle which is the subject of the Bank's security hereunder;

g) if any event or circumstance shall occur which shall in the opinion of the Bank be prejudicial to or endanger or be likely to prejudice or endanger its security hereunder;

14) On the happening of any of the defaults or acts, events or circumstances mentioned in clause 13 above, the Bank shall if it so thinks fit be entitled any time or times after such default, act, event or circumstance occurs or happens at the risk and expense of the Borrower and without any notice to the Borrower to take possession of and remove the hypothecated articles from any place where it may be lying and to enter (and for that purpose to do any necessary act, deed or thing) and remain in or upon any garage or place where the hypothecated article may be and to inspect, value, insure and take charge or possession of the hypothecated articles and remove the same from such garage or premises and for all or any of the said purposes to do any acts, deeds or things which the Bank may in its discretion think necessary or proper and to seize, recover, receive/appoint receivers or remove the hypothecated articles and thereupon forthwith or at any time from time to time after giving not less than 15 days notice at least to sell the hypothecated articles by public auction or private contract or by tender or otherwise dispose of or deal with the hypothecated articles at such price and in such manner and upon such terms and conditions as the Bank shall think fit and to apply the net sale proceeds towards the repayment of the balance due in the said Loan Account together with all interest due thereon upon the said date of such application and also all costs, charges and expenses and other moneys payable by the Borrower under the terms hereof. And to enforce realise, settle, compromise and deal with any rights aforesaid without being bound to exercise any of these powers or being liable for any losses in the exercise thereof and without prejudice to the Bank's rights and remedies of suit or otherwise and notwithstanding there may be any pending suit of other proceedings. The Borrower hereby also agrees to accept as final and conclusive (both in and out of Court) the Bank's accounts of sale and realisation and to pay any shortfall or deficiency thereby shown and if the net sum realised by such sale shall be insufficient to pay the amount secured, the Bank shall be at liberty to set off and apply (without any prior notice to the Borrower) any other money or moneys in the hands of the Bank standing to the credit of or belonging to the borrower in or towards the payment of the balance and in the event of there being still a deficiency, the Borrower shall forthwith pay such deficiency, provided that nothing contained shall in any manner prejudice or affect the Bank's remedy against the Borrower personally.

15) The Borrower hereby declares and guarantees that the hypothecated article is and shall remain the absolute and unencumbered property of Borrower with full power of disposition there over.

16) The Borrower shall furnish (and verify all statements and) information from time to time and as required by the Bank and give and execute any necessary documents required to give effect to this security.

19. उधारकर्ता बैंक में एक चालू अथवा बचत खाता खोलेगा और बनाये रखेगा तथा खाते में पर्याप्त धन रखेगा एवं बैंक को ऋण तथा ब्याज की प्रत्येक किस्त को देय होते ही खाते में नामे करने के लिए अप्रतिसंहरणीय रूप से एतद्वारा प्राधिकृत करता है. बैंक को बिना पूर्व सूचना के उक्त खाते में अथवा बैंक के साथ उधारकर्ता के किसी अन्य खाते में शेष धनराशि का उक्त ऋण खाते में उसकी शर्तों के अनुसार देय हो जाने पर बकाया धनराशि तथा बैंक को उधारकर्ता द्वारा इसके तहत देय अन्य सभी धनराशियों से मुजराई करने का भी अधिकार है.

20. उधारकर्ता द्वारा कर, शुल्क, उपकर, किराया अथवा उस पर बकाया किसी अन्य वैधानिक देयों अथवा दायित्वों के भुगतान में चूक अथवा विलम्ब से संबंधित कोई नोटिस अथवा सूचना किसी सरकारी, अर्धसरकारी, सड़क परिवहन, राजस्व, नगरपालिका अथवा किसी अन्य प्राधिकारी से उधारकर्ता को प्राप्त होती है तो वह उससे बैंक को तुरन्त अवगत करायेगा.

21. इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात का बैंक के प्रति उधारकर्ता की किसी कर्जदारी अथवा दायित्व के लिए किसी वर्तमान अथवा भावी प्रतिभूति, गारंटी, बाध्यता अथवा डिक्री के मामले में बैंक के किन्ही अधिकारों अथवा उपचारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

22. विधि द्वारा जो सामान्य धारणाधिकार अथवा समतुल्य अधिकार बैंक को मिले हैं, उनके अतिरिक्त बैंक उधारकर्ता को सूचना दिये बगैर किसी भी समय उधारकर्ता के बैंक के साथ सभी अथवा किन्ही खातों और बैंक की देयताओं को जोड़ने अथवा समेकित करने तथा ऐसे किसी अथवा किन्ही खातों की जमाराशि अथवा जमाराशियों को बैंक के किसी अन्य खाते या किसी अन्य मामले में उधारकर्ता की किन्ही देयताओं की पूर्ति के लिए मुजराई करने अथवा हस्तांतरण करने का भी अधिकार है.

23. इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात का बैंक के प्रति उधारकर्ता की किसी कर्जदारी अथवा दायित्व के लिये किसी वर्तमान अथवा भावी प्रतिभूति, गारंटी, बाध्यता अथवा डिक्री के मामले में बैंक के किन्ही अधिकारों अथवा उपचारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

24. इस करार के अधीन बैंक द्वारा उधारकर्ता को अनुरोध स्वरूप अथवा अन्यथा कोई नोटिस व्यक्तिगत रूप से दी जाती है या उधारकर्ता के भारत में स्थित कारोबार या आवास के तत्समय अथवा अंतिम ज्ञात स्थान, जैसी भी स्थिति हो, पर छोड़ी जा सकती है अथवा उपरोक्त पते पर उधारकर्ता के नाम डाक से भेजी जा सकती है और यदि नोटिस डाक से भेजी जा सकती है तो ऐसी नोटिस को उस समय दी गई माना जायेगा जिस समय वह सामान्यतः डाक से वितरित हो जानी चाहिए तथा ऐसी नोटिस को डाक द्वारा भेजी गई सिद्ध करने के लिए यह प्रमाणित करना पर्याप्त होगा की नोटिस वाला लिफाफा डाक द्वारा भेजा गया है तथा बैंक के स्थानीय प्रबंधक अथवा एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित यह प्रमाणपत्र निर्णायक होगा कि लिफाफे को इस प्रकार डाक से भेजा गया है. यदि उधारकर्ता किसी कारण वश अथवा अन्यथा भारत में नहीं है तो उस जिले के अखबार में, जहाँ पर उधारकर्ता का अन्तिम ज्ञात आवास अथवा कारोबार था, इस नोटिस को एक विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करवाना पर्याप्त होगा तथा जिस दिन वह विज्ञापन प्रकाशित होगा उसी दिन उस नोटिस को दिया हुआ एवं उधारकर्ता द्वारा प्राप्त किया हुआ माना जायेगा.

जिसके साक्ष्य स्वरूप उधारकर्ता ने इस विलेख को पहले ऊपर लिखे दिन और वर्ष को निष्पादित किया.

अनुसूची "क"

(आडमान की गई वस्तु का विवरण)

17) The Borrower agrees to accept as conclusive proof of the correctness of any sum claimed to be due from him to the Bank under this Agreement a statement of account made out from the books of the Bank and signed by the Manager/Agent/Accountant and or other duly authorised officer of the Bank without the production of any other voucher, document or paper.

18) That the Bank shall not in any way be liable or responsible for any damage or depreciation which the hypothecated article or any part thereof may suffer or sustain on any account whatsoever while the same shall at any time come into possession of the Bank.

19) The Borrower shall open and maintain with the Bank a current or saving Bank account and keep the Account in sufficient funds and hereby irrevocably authorises the Bank to debit the same with the amount of each instalment of the loan and interest thereon as and when it falls due. The Bank shall also have the right to set-off without any prior notice the balance due in the said account and also in any other account whatsoever of the Borrower with the Bank, against the balance due in the said Loan Account and all other moneys payable hereunder by the Borrower to the Bank at any time after balance in said Loan account has become payable under the terms hereof.

20) The Borrower shall inform the Bank promptly of any notice or intimation received from any Government, Semi-Government, Road Transport, Revenue, Municipal or Local or other authorities regarding any default or delay by the Borrower in payment of any taxes, fees, cess, rents or any statutory or any other dues or liability of the Borrower.

21) Nothing herein shall operate to prejudice the Bank's rights or remedies in respect of any present or future security, guarantee, obligation or decree for any indebtedness or liability of the Borrower to the Bank.

22) In addition to any general lien or similar rights to which the Bank may be entitled by law, the Bank may at any time and without notice to the Borrower combine or consolidate all or any of the Accounts of the Borrower with the Bank and liabilities to the Bank and set -off or transfer any sum or sums standing to the credit of any one or more of such accounts in or towards satisfaction of any of the liabilities of the Borrower to the Bank on any other account or in any other respects, whether such liabilities be actual or contingent, primary or collateral or several or joint.

23) Nothing herein shall operate to prejudice the Bank's rights or remedies in respect of any present or future security, guarantee, obligation or decree for any indebtedness or liability of the Borrower to the Bank.

24) Any notice by way of request or otherwise hereunder may be given by the Bank to the Borrower personally, or may be left at the then or last known place of business or residence of the Borrower in the Republic of India as the case may be addressed to the Borrower or may be sent by post to the Borrower as aforesaid and if sent by post, such notice shall be deemed to have been given at the time when it would be delivered in due course of post, and in proving such notice when given by post, it shall be sufficient to prove that the envelope containing the notice was posted, and a certificate signed by the Bank's Local Manager or Agent that the envelope was so posted shall be conclusive, if by reason of absence from India as the case may be or otherwise, any such notice to the Borrower cannot be given, then the same if inserted once as an advertisement in a newspaper circulating in the district where the Borrower was last known to reside or carry on business shall be deemed to have been effectually given and received on the day on which such advertisement appears.

अनुसूची "ख"

किस्तों की धनराशि रू

किस्तों के भुगतान की तारीख :

श्री. के

नाम से हस्ताक्षरित किया गया एवं वितरित किया गया.

हस्ताक्षर

दिनांक :

(प्रमाणित न किया जाय)

दस्तावेज जांच किये

हस्ताक्षर :

दिनांक :

टिप्पणी : किसी फर्क या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अधिप्रमाणित समझा जाएगा और हिन्दी पाठ पर अभिभावी होगा.

Note : In the event of any discrepancy or dispute the English version will prevail over Hindi version & treated as authentic.

IN WITNESS WHEREOF the Borrower has executed these presents the day and year first above written.

SCHEDULE "A"
(description of the hypothecated article)

SCHEDULE "B"

Amount of Instalments Rs.

Date of payment of Instalments :

Signed and delivered by the

within named Shri

SIGNATURE

Date :

(NOT TO BE ATTESTED)

Document checked by
Sign :
Date :